संख्या–1020/पांच–1–2011

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक/प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–1

लखनऊ, दिनांकः 19 अप्रैल, 2011

विषयः राजकीय चिकित्सालयों में स्थापित रक्तकोषों हेतु बजट की व्यवस्था।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय चिकित्सालयों को आवंटित केमिकल एवं रिएजेन्ट हेतु बजट का 20 प्रतिशत बजट रक्तकोषों में केमिकल एवं रिएजेन्ट हेतु व्यय किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त समस्त राजकीय चिकित्सालयों में स्थापित रक्तकोषों हेतु उपकरणों के क्रय, रख–रखाव/मरम्मत एवं कन्ज्यूमेबिल्स जैसे– ब्लड बैग, टेस्टिंग किट आदि की आपूर्ति रोगी कल्याण निधि में जमा धनराशि से की जाए।

भवदीय,

19.04.11

(मणि प्रसाद मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या–1020(1)/पांच–1–2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं शिक्षा, अनुभाग–1/3
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0।
3. परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी।
4. निदेशक, राज्य रक्त संचरण परिषद, उ0प्र0।
5. निदेशक, चिकित्सा उपचार, उ0प्र0।
6. औषधि नियन्त्रक, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त प्रभारी, रक्तकोष, राजकीय चिकित्सालय/चिकित्सा महाविद्यालयों तथा छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय।
9. समस्त ए0आर0टी0 केन्द्र।
10. विशेष सचिव, खाद्य एवं औषधि प्रर्शासन विभाग।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0एस0 परिहार)
अनु सचिव।

प्रेषक,

मणि प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक/प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका,
   जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय,
   उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–1 लखनऊ, दिनांकः 19 अप्रैल, 2011

विषयः रक्त एवं रक्त अवयव हेतु सर्विस चार्ज लिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों/जिला चिकित्सालयों में स्थापित रक्तकोषों एवं नाको, भारत सरकार द्वारा सहायतित रक्तकोषों द्वारा रक्त एवं रक्त अवयव हेतु लिए जा रहे सर्विस चार्ज के संबंध में शासनादेश संख्या–438/पॉच–1–08 दिनांक 18.04.2008 तथा इस परिप्रेक्ष्य में कार्यालय–ज्ञाप संख्या–3117/पॉच–1–08, दिनांक 07.11.2008 द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 18.04.2008 के प्रस्तर 1 से 3 में उल्लिखित व्यवस्था/प्राविधान को अवक्रमिता करते हुए तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

1. प्रदेश के राजकीय/नाको सहायतित रक्तकोषों में रक्त एवं रक्त अवयव हेतु निम्नलिखित दरों के अनुसार सर्विस चार्ज लिये जाने का निर्णय लिया गया है :–

रक्त/रक्त अवयव	दर (रू0)
(क) होल ब्लड (Whole Blood)	400/–प्रति यूनिट
(ख) पैक्ड रेड ब्लड सेल्स (Packed Red Blood Cells)	400/–प्रति यूनिट
(ग) फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा (Fresh Frozen Plasma)	200/–प्रति यूनिट
(घ) रैंडम डोनर प्लेटलेट कन्संट्रेट (Random Donor Platelet Concentrate)	200/–प्रति यूनिट
(ड़) क्रायोप्रेसिपिटेट (Cryoprecipitate)	100/–प्रति यूनिट

2. निम्नलिखित श्रेणियों के रोगियों के लिए रक्त/रक्त अवयव हेतु सर्विस चार्ज में छूट प्रदान करते हुए उनको राजकीय/नाको सहायतित रक्तकोषों से रक्त एवं रक्त अवयव निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है :–

   (क) बी.पी.एल कार्ड धारक।

   (ख) थैलेसीमिया, हीमोफीलिया तथा सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित रोगी, जिन्हें जीवन–पर्यन्त रक्त की आवश्यकता होती है।

   (ग) एच.आई.वी./एड्स पीड़ित रोगी।

   (घ) जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभार्थी महिलायें ।

   (ड़) लावारिस/कैदी/विकलांग व्यक्ति (सम्बन्धित स्वास्थ्य सुविधा/चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधीक्षक के विवेकाधीन)।

क्रमशः– 2

3. रक्तदाताओं को रक्तदान के पश्चात् सूक्ष्म जलपान उपलब्ध कराया जाए जिस हेतु अधिकतम धनराशि रू0 20/– प्रति रक्तदाता के अनुसार, रक्त/रक्त अवयव हेतु प्राप्त सर्विस चार्ज से व्यय किए जा सकते हैं।
4. शासनादेश दिनांक 18.04.2008 तथा कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 07.11.2008 के शेष प्रावधान यथावत् रहेंगें।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

10.04.11

(मणि प्रसाद मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्याः 1019(1)/पांच–1–2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं शिक्षा, अनुभाग–1/3
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
4. परियोजना निदेशक, उ0प्र0 राज्य एड्स नियन्त्रण सोसाइटी।
5. निदेशक, राज्य रक्त संचरण परिषद, उ0प्र0।
6. निदेशक, चिकित्सा उपचार, उ0प्र0।
7. औषधि नियन्त्रक, उ0प्र0।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
9. समस्त प्रभारी, रक्तकोष, राजकीय चिकित्सालय/चिकित्सा महाविद्यालयों तथा छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय।
10. समस्त ए0आर0टी0 केन्द्र।
11. विशेष सचिव, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग।
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0एस0 परिहार)
अनु सचिव।